BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN .... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...**RESPONDENTS**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate –Hamirpur in compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure No. R 1: -** A copy of the Joint Inspection Committee report dated 01.07.2025	
3.	**Annexure No. R 2: -** A copy of the office order dated 23.07.2024	
4.	**Annexure No. R 3:-** A copy of the office order dated 26.12.2024	
5.	**Annexure No. R 4: -** A copy of the office letter dated 10.03.2025	
6.	**Annexure No. R 5: -** A copy of the Office Order dated 20.07.2024	
7.	**Annexure No. R 6: -** A copy of the Office Order dated 23.07.2024	
8.	**Annexure No. R 7: -** A copy of the Office order dated 30.12.2024	
9.	**Annexure No. R 8: -** A copy of the Office Letter dated 07.05.2025	
10.	**Annexure No. R 9: -** A copy of the Office Letter dated 15.05.2025	
11.	**Annexure No. R 10: -** A copy of the Office Letter dated 22.06.2024	

12.	**Annexure No. R11: -** A copy of the office order dated 22.01.2025	
13.	**Annexure No. R 12: -** A copy of the Office Letter dated 07.05.2025	
14.	**Annexure No. R 13: -** A copy of the Office Order dated 30.12.2024	
15.	**Annexure No. R 14: -** A copy of the Office Order dated 28.03.2025	
16.	**Annexure No. R 15: -** A copy of the Office Order dated 28.05.2025	
17.	**Annexure No. R 16: -** A copy of the Office Letter dated 07.05.2025	

DATED: - 13.08.2025

FILED THROUGH

AnkitVerma

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL STATE OF U.P.
A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013
MOB: - 9990804440
Email: - ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN .... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. .....**RESPONDENTS**

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE HAMIRPUR IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 7 herein states as under: -

NOTARY

NOTARY

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Ghanshyam Meena aged about 35 years, S/o Ramanand Meena, presently posted as District Magistrate- Hamirpur, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned answering Respondent No. 7 and is duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstances of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Hamirpur, since 14, September 2024 and is swearing this affidavit in his official capacity.

5. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 27.05.2025 was pleased to issue the following directions: -

"……….. *5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board(CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board(UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months……."

6. That the present reply is being filed in respectful compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

7. That in compliance with the order dated 27.05.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, vide Office Letter No. 544/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2025-26) dated 20.06.2025, the, deponent, nominated the District Mining Officer Mr Vikas Singh Parmar as a member of the said Joint Committee.

8. That it is submitted that, during the joint inspection conducted on 01.07.2025, the complainant, Shri Ram Milan, son of Shri Virendra Kumar, resident of Muskara, District Hamirpur, Uttar Pradesh, was present before the members of the Joint Committee at the site. Shri Ram Milan submitted

his written statement, wherein it was stated as follows: *"I have no grievance against the Mining Departments of District Jalaun or District Jhansi. However, I have a complaint regarding the operation of poclain machines and the creation of pits in the mining areas located in Village Beri (Block No. 10/6), Village Chandauth (Block No. 21/1), and Village Ichhaura Jitkari (Block Nos. 25/17, 25/18, 25/21) in District Hamirpur. Other than the above, I have no further complaint."*

NOTARY NOTARY

9. That pursuant to the aforesaid, the Joint Inspection Committee conducted a site inspection on 01.07.2025 in the presence of the complainant, in relation to the mining areas and the alleged irregularities mentioned in present Original Application, pending before this Hon'ble Tribunal. During the site inspection, it was observed, and the complainant also stated in his recorded submission, that: *"In compliance with the order dated 27.05.2025 of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, passed in O.A. No. 203/2025 (Ram Milan v. State of U.P. & Others), the Joint Inspection Committee inspected the mining areas of District Hamirpur and District Banda in my presence. Upon inspection, it was found that due to continuous rainfall over the past week, the said areas were submerged, and water streams were flowing therein. Consequently, no pits or evidence of machine-based mining were visible. It is also submitted that due to heavy rainfall over the last week, the approach roads leading to the mining sites were also waterlogged. Furthermore, I (Shri Ram Milan) state that, in future, if heavy poclain machines or other irregular activities are observed, I shall inform the concerned District Mining Department and the Hon'ble Tribunal accordingly."* A Copy of the Joint Inspection Committee report dated 01.07.2025 **Annexure No. R 1** to this affidavit.

NOTARY NOTARY NOTARY

10. That in compliance of the order dated 27.05.2025 of this Hon'ble Tribunal the following point-wise report and documentary facts are submitted in respect of the mining areas of District Hamirpur, namely: -
   a. Village Beri, Block No. 10/6, Tehsil Hamirpur;
   b. Village Chandauth, Block No. 21/1, Tehsil Sarila; and
   c. Village IchhauraJitkari, Block Nos. 25/17, 25/18 & 25/21, Tehsil Sarila.

i. **Village Beri, Block No. 10/6 : -**

11. That, the mining lease for Village Beri, Block No. 10/6, measuring 36.437 hectares, was granted for sand/morrum mining in favour of M/s. Kawar Enterprises Pvt. Ltd., through its Director Shri Kawar Pal Singh, son of Shri Harbhajan Singh, resident of D-19, Sector-40, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, and Ms. Shivani Singh, daughter of Shri Anil Kumar Singh, resident of House No. 208, Gali No. 13, near Liberty Showroom, Bhikam Colony, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana. The lease was sanctioned for a period from 09.11.2023 to 08.11.2028, with an annual extraction limit of 5,82,912 cubic metres.

12. That upon inspection conducted by the District Mining Officer, Hamirpur, on 24.06.2024, illegal mining to the extent of 1,238.3 cubic metres of sand/morrum was found to have been carried out by the leaseholder Ms Kawar Enterprises Pvt. Ltd. Director Shri Kawar pal singh Consequently, a penalty of ₹11,14,470/- was imposed vide Office Letter No. 551/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2023-24) dated 05.07.2024. As the leaseholder failed to deposit the said penalty, further action was taken through Office Order No. 233/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 23.07.2024for recovery of the amount. A copy of the office order dated 23.07.2024 is being annexed as **Annexure No. R 2** to this affidavit.

13. That a joint inspection of the said area was again conducted on 23.12.2024 by the Tehsildar, Hamirpur, Mines Inspector, Hamirpur, and the Revenue Lekhpal, wherein it was observed that mining had been carried out within the river stream. Accordingly, a penalty of ₹5,00,000/- was imposed vide Office Letter No. 1418/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2023-24) dated 26.12.2024. A copy of the office order dated 26.12.2024 is being annexed as **Annexure No. R 3** to this affidavit.

14. That upon a further joint inspection conducted on 27.02.2025 by the Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, the Circle Officer, Hamirpur, and the Mines Inspector, Hamirpur, it was found that 663 cubic metres of illegal mining had been carried out by the leaseholder Ms Kawar Enterprises Pvt. Ltd. Director Shri Kawar pal singh leading to imposition of a penalty of

₹5,96,700/- vide Office Letter No. 1816/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 10.03.2025. A copy of the office letter dated 10.03.2025 is being annexed as **Annexure No. R 4** to this affidavit.

15. That through the weighbridge installed at the mining site, it was detected that from 09.11.2023 to 05.04.2025, illegal transportation of minor minerals had been carried out by 356 vehicles, against which a cumulative penalty of ₹1,52,74,484/- was imposed. As the lease holder failed to deposit the penalty, the amount of penalty has been adjusted to security money deposited by the lease holder.

16. That since the leaseholder Ms Kawar Enterprises Pvt. Ltd. Director Shri Kawar pal singh failed to deposit the due instalments, penalty imposed against illegal mining, illegal transportation, DMF and TCS mining lease in question was terminated vide Office Order No. 141/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2025-26) dated 24.04.2025, with further directions for recovery of the outstanding dues as arrears of land revenue in case of default.

ii. **Village Chandauth, Block No. 21/1: -**

17. That the mining lease for Village Chandauth, Block No. 21/1, measuring 16.00 hectares, was granted in favour of M/s. Om Prakash Ram Avtar, through Smt. Renu Gupta, wife of Shri Satyaprakash Gupta, resident of 128/346, H Block, Kidwai Nagar, District Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, for a period from 09.12.2023 to 08.12.2028, with an annual extraction limit of 2,40,000 cubic metres.

18. That on 19.03.2024, a joint inspection of the said mining area was conducted by the Mining Officer, Hamirpur, and the Tehsildar, Sarila, wherein 6,425 cubic metres of illegal mining was detected. Accordingly, a penalty of ₹58,32,500/- was imposed vide Office Letter No. 39/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2023-24) dated 04.04.2024. That since the leaseholder did not deposit the said penalty, further directions for payment were issued vide Office Order No. 623/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 20.07.2024. A copy of the Office Order dated 20.07.2024 is being annexed as **Annexure No. R 5** to this affidavit.

19. That a subsequent inspection was conducted on 15.06.2024 by the Mines Inspector and Revenue Lekhpal, wherein 1,350 cubic metres of illegal mining was detected, resulting in the imposition of ₹12,15,000/- as penalty vide Office Letter No. 381/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 22.06.2024. Non-payment of penalty led to further proceedings through Office Order No. 230/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 23.07.2024. A copy of the Office Order dated 23.07.2024 is being annexed as **Annexure No. R 6** to this affidavit.

20. That on 18.11.2024, another joint inspection was conducted by the Mining Officer, Hamirpur, Naib Tehsildar, Sarila, the Station In-Charge, Chandauth, and the local Lekhpal, wherein 5,169.6 cubic metres of illegal mining was found, and the absence of CCTV cameras at the site was noted. Consequently, a penalty of ₹51,02,640/- was levied vide Office Letter No. 1226/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 26.11.2024. The leaseholder again failed to pay the dues, prompting action through Office Order No. 1459/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 30.12.2024. A copy of the Office order dated 30.12.2024 is being annexed as **Annexure No. R 7** to this affidavit.

21. That a special inspection was further carried out from 28.11.2024 to 01.12.2024 by the Senior Mining Officer/Regional Enforcement Officer, Prayagraj, Senior Mining Officer/Regional Enforcement Officer, Lucknow, and Surveyors from Headquarters, Lucknow, wherein 505 cubic metres of excess mining was found, leading to the imposition of ₹4,54,500/- as penalty vide Office Letter No. 189/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2025-26) dated 07.05.2025. A copy of the Office Letter dated 07.05.2025 is being annexed as **Annexure No. R 8** to this affidavit.

22. That during another inspection on 27.04.2025, conducted by the Naib Tehsildar, Sarila, Mines Inspector, Hamirpur, and Revenue Lekhpal, Chandauth, a total of 1,900cubic metres of illegal mining was discovered, leading to the imposition of ₹17,10,000/- as penalty vide Office Letter No. 236/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2025-26) dated 15.05.2025. A copy of the Office Letter dated 15.05.2025 is being annexed as **Annexure No. R 9** to this affidavit.

iii. **Village IchhauraJitkari, Block No. 25/17: -**

23. That the mining lease for Village Ichhaura Jitkari, Block No. 25/17, measuring 12.145 hectares, with an annual extraction limit of 1,94,296 cubic metres, for granting the 5 year mining lease a Letter Of Intent issued in favour of M/s. Rewa Sugar Industries Pvt. Ltd., through its Director Shri Rasmeet Singh Malhotra, son of Shri Ajit Singh Malhotra, resident of Post & Tehsil Pipariya, Nehru Ward No. 13, near Alka Talkies, Pipariya, Hoshangabad, Madhya Pradesh, vide Office Letter No. 1737/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2022-23) dated 21.02.2023. That the said mining lease is presently under process for obtaining Environmental Clearance Certificate, and the lease deed has not executed, hence no mining activities have commenced in the mining area as of now.

iv. **Village Ichhaura Jitkari, Block No. 25/18: -**

24. That, the mining lease for Village Ichhaura Jitkari, Block No. 25/18, admeasuring 8.180 hectares, was sanctioned for sand/morrum mining in favour of M/s. Euphoria Mines and Minerals Pvt. Ltd., through its Director Shri Chandrashekhar Chaurasia, son of Shri D.D. Chaurasia, resident of 9A, Paramount Villa, Shyamla Hills, near Regional College, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh, for a term from 16.03.2024 to 15.03.2029, with an annual extraction limit of 1,30,864 cubic metres.

25. That during a joint inspection conducted by the Mines Inspector, Hamirpur, and the local Lekhpal, illegal mining of 1,820 cubic metres was detected. Consequently, a penalty of ₹16,38,000/- was imposed vide Office Letter No. 382/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 22.06.2024. A copy of the Office Letter dated 22.06.2024 is being annexed as **Annexure No. R 10** to this affidavit.

26. That upon another joint inspection on 12.12.2024, conducted by the Naib Tehsildar, Sarila, Mines Inspector, Hamirpur, Station House Officer, Chikasi, and the Revenue Lekhpal, illegal mining of 10,500 cubic metres was detected, in the adjoining vacant mining area Icchora jitkari block no 25/17 leading to imposition of ₹94,50,000/- as penalty vide Office Letter No.

1348/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 12.12.2024, followed by Office Order No. 1557/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 22.01.2025, directing payment of the said dues. A copy of the office order dated 22.01.2025 is being annexed as **Annexure No. R 11** to this affidavit.

27. That during a subsequent joint inspection on 11.02.2025 by the Sub-Divisional Magistrate, Sarila, Circle Officer, Sarila, Mines Inspector, Hamirpur, and Revenue Lekhpal, the leaseholder was found conducting mining within the approved area.

28. That a special inspection from 28.11.2024 to 01.12.2024, conducted by Senior Mining Officers/Regional Enforcement Officers from Prayagraj and Lucknow along with the Headquarters Surveyor, found excess extraction of 650 cubic metres, for which a penalty of ₹5,85,000/- was imposed vide Office Letter No. 196/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2025-26) dated 07.05.2025. A copy of the Office Letter dated 07.05.2025 is being annexed as **Annexure No. R 12** to this affidavit.

v. **Village Ichhaura Jitkari, Block No. 25/21: -**

29. That the mining lease for Village Ichhaura Jitkari, Block No. 25/21, admeasuring 17.731 hectares, was sanctioned in favour of M/s. Digiana Industries, through its Proprietor Shri Tejinder Pal Singh Ghumman, son of Shri Sucha Singh Ghumman, resident of 233 Vishnupuri NX, Bhawarkuan, Indore, Madhya Pradesh, for a term from 11.11.2024 to 10.11.2029, with an annual extraction limit of 2,83,661 cubic metres.

30. That during a joint inspection conducted on 22.11.2024 by the Additional District Magistrate (F/R), Hamirpur, the Sub-Divisional Magistrate, Sarila, the Mining Officer, Hamirpur, and the Regional Forest Officer, Sarila, it was found that no PTZ cameras had been installed in the mining area. A penalty of ₹3,00,000/- was accordingly imposed for a 12-day lapse. As the amount remained unpaid, further orders were issued vide Office Order No. 1458/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 30.12.2024. A copy of the Office Order dated 30.12.2024 is being annexed as **Annexure No. R 13** to this affidavit.

31. That a series of inspections were conducted thereafter on 12.12.2024, 15.01.2025, and 30.01.2025, by the Naib Tehsildar, Sarila, the Mines Inspector, Hamirpur, Station House Officer, Chikasi, Revenue Inspector, Sarila, and the local Lekhpal. During these inspections, the leaseholder was found mining within the approved area. On 30.01.2025, illegal extraction of 1,125 cubic metres was specifically detected, resulting in imposition of ₹15,12,500/- as penalty vide Office Letter No. 1732/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 27.02.2025. That upon failure to pay, further proceedings were initiated through Office Order No. 1923/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 28.03.2025. A copy of the Office Order dated 28.03.2025 is being annexed as **Annexure No. R 14** to this affidavit.

32. That another inspection was carried out on 06.03.2025 by the Sub-Divisional Magistrate, Sarila, Circle Officer, Sarila, and Mines Inspector, Hamirpur, wherein it was confirmed that mining was being done within the approved area, and no mining within the river stream was observed.

33. That during a subsequent inspection on 19.04.2025 by the Mines Inspector, Hamirpur, six suction pump machines (lifters) were found engaged in illegal extraction of sand/morrum. These machines were seized and handed over to the concerned police station, and a penalty of ₹30,00,000/- was imposed vide Office Letter No. 101/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2024-25) dated 19.04.2025. Upon non-payment, further proceedings were initiated through Office Order No. 276/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2025-26) dated 28.05.2025. A copy of the Office Order dated 28.05.2025 is being annexed as **Annexure No. R 15** to this affidavit.

34. That during a special inspection from 28.11.2024 to 01.12.2024, conducted by Senior Mining Officers/Regional Enforcement Officers, Prayagraj and Lucknow, and the Headquarters Surveyor, excess extraction of 300 cubic metres was detected, leading to the imposition of ₹2,70,000/- as penalty vide Office Letter No. 197/Mineral-MMC-Tis-Vividh (2025-26) dated 07.05.2025. A copy of the Office Letter dated 07.05.2025 is being annexed as **Annexure No. R 16** to this affidavit.

35. That it is further submitted that, prior to the grant of any mining lease or commencement of mining operations, the mining area is allotted strictly

through an e-tender cum e-auction process, wherein the highest bidder is issued a Letter of Intent (LOI). The project proponent is permitted to commence mining operations only upon obtaining all requisite approvals, including Mining Plan Approval, Environment Impact Assessment (EIA), Public Hearing, Environmental Clearance Certificate, and Consent to Operate (CTO).

NOTARY NOTARY NOTARY

36. That the grievance of the complainant that *"residents from outside the local area obtain mining leases by placing higher bids, which, due to the high cost of the lease, encourages illegal mining and environmental imbalance"*, is untenable and cannot be accepted. The entire process is transparent and regulated by law, and upon commencement of mining, the District-Level Task Force and departmental officers conduct regular inspections of the approved mining areas. Any irregularity detected is strictly dealt with in accordance with the law.

37. That it is further submitted that, as per the Environmental Clearance Certificate issued for the mining lease areas, it is specifically stipulated that:

"The mining work shall be open-cast and manual/semi-mechanized (subject to orders). Heavy machinery such as excavators, scoopers, etc., shall not be employed for mining purposes. No drilling or blasting shall be carried out at any stage."

38. That, in relation to the above, it is pertinent to note the provisions of Rule 41(C) of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, which state as follows:

"41(C) – The leaseholder, in accordance with the conditions specified in the Environmental Clearance, may carry out mining operations with the aid of machines, except in the river stream, and may also use machines for loading and unloading. With prior approval of the District Magistrate, the leaseholder may construct or erect any machinery, plants, furnaces, kilns, workshops, warehouses, or other similar structures on the lease area."

NOTARY NOTARY NOTARY

39. That it is further submitted that, in accordance with the provisions of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, and the conditions of the

Environmental Clearance Certificate, all lease holders are required to ensure regular sprinkling of water through tankers on the approach roads and adjoining streets to control dust and maintain environmental safeguards. The compliance of this condition is monitored by the District Task Force and other departmental officers

40. That all mining operations in the District are carried out strictly in conformity with the terms of the Environmental Clearance Certificate and Rule 41(C) of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, using open-cast/semi-mechanized methods with manually operated machines only.

41. That as per the specific conditions laid down in the Environmental Clearance Certificate issued by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Lucknow, all mining operations in the lease areas are to be conducted only during daytime.

42. That in compliance with the above condition, sand/morrum mining activities are undertaken during the day, and the excavated minerals are loaded onto vehicles and parked near the exit points of the mining area. A portion of the extracted minerals is also stockpiled within the lease area. During the night, the pre-extracted and pre-loaded material is dispatched in accordance with the transport permits/e-MM-11 forms issued for the vehicles, strictly adhering to the approved quantity.

43. Thatit is further submitted that, due to restrictions on the entry of heavy vehicles into villages, towns, and urban areas during the day, transporters often face difficulties in meeting the time limits prescribed under the transport permits/e-MM-11. Consequently, such vehicles are subjected to penalties at various check gates and by enforcement squads for alleged illegal transportation or overloading. This operational constraint is a major reason why the transportation of minerals is predominantly carried out during the night hours, while no mining operations are undertaken during the night.

44. That in accordance with the conditions of the Environmental Clearance Certificate, it is expressly directed that no mining operations shall be carried

out within the river stream. As per Rule 42(h)(1) of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, it is clearly stipulated that:

"42(h)(1) – The leaseholder shall not conduct any mining operations beyond a depth of three meters or the water level, whichever is less, in the riverbed, and no mining shall be carried out in any safety zone so notified by the District Magistrate. Furthermore, mining operations using suction machines, lifters, or similar equipment in the river stream are strictly prohibited."

45. That mining activities within river streams are thus completely prohibited. The District Task Force, constituted for the said purpose, keeps a constant vigil to ensure that no mining operations are conducted within the river stream and that no illegal mining is undertaken within the District. It is further submitted that if any instance of river stream mining using suction machines, lifters, or other unauthorized mechanical equipment is detected, stringent penal action is initiated against the defaulting parties in accordance with the prescribed rules.

46. That in addition to the above, it is submitted that a District-Level Task Force and other departmental officers maintain a continuous and strict surveillance over all approved mining areas in the District. Periodic inspections are conducted, and in case of detection of any irregularity, appropriate penal proceedings are initiated under the relevant provisions of law.

47. That, to effectively control and prevent illegal mining and transportation, Task Forces have been constituted at both District and at Tehsil levels, which are regularly engaged in enforcement operations. For monitoring vehicles transporting minor minerals from approved mining sites, Weighbridges and CCTV cameras have been installed, which are integrated with the Central Command Centre located at the Directorate of Geology and Mining, U.P., Lucknow.

48. That, in the approved/operational mining areas of the District, PTZ cameras, boundary pillars, and geo-fencing systems have been installed. To further strengthen enforcement measures against illegal transportation, two AI-

based unmanned check gates equipped with advanced cameras and RFID scanners have been established, one between Laxshmibai Tiraha and Yamuna Bridge, and another between Gram Chikasi and Betwa Bridge, both of which are also integrated with the Central Command Centre.

NOTARY NOTARY

49. That, through these check gates, vehicles engaged in the illegal transportation of minor minerals are automatically identified, and e-notices are issued against them. During the financial years 2024-25 and 2025-26, a total of 2,689 vehicles involved in illegal mining, transportation, or overloading were penalized, resulting in the realization of ₹12,34,95,984/- in the State Treasury. Additionally, in 53 cases of illegal mining, penalties amounting to ₹2,85,12,500/- were imposed and recovered. Furthermore, in 5 cases of illegal storage, penalties amounting to ₹37,19,300/- were levied.

NOTARY NOTARY

50. That the deponent most humbly submits before this Hon'ble Tribunal that the District Administration- Hamirpur is very conscious and vigilant about illegal sand mining/transportation in the alleged areas. Earnest efforts are being undertaken to prohibit illegal mining activities within District.

51. That further the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that he is duty bound to ensure the compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.

NOTARY

52. That in light of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the instant reply affidavit filed by the District Magistrate- Hamirpur be taken on record, in the interest of justice.

Execution ... Attested And Signed Before ... In The Court ... Notary Office

NOTARY

Dated 12.0.025

DEPONENT

Advocate & Notary
Distt -Hamirpur (U.P.)

VERIFICATION

NOTARY

Verified at .... on .... That the contents of the Paras 1 to .... of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 /2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN .... APPLICANT

STATE OF U.P. & ORS. .... RESPONDENT

AFFIDAVIT

I Ghanshyam Meena S/o Ramanand Meena aged about 35 years presently posted as District Magistrate Hamirpur, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under-

1. That I am fully acquainted with the facts and circumstances and records of the case and thus competent to swear the present affidavit.
2. That the contents of the accompanying reply have been prepared under my instructions and have been understood by me and I declare the same to be true and correct to my knowledge of facts and law.
3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

Verification

It is verified at Hamirpur......on ....that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT

Annexure No-R1

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 निम्नवत है :–

….."5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.
7. List on 16.07.2025 for further consideration."……

- मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2025 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था कि निरीक्षण शिकायतकर्ता के उपस्थिति में किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2025 निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27.05.2025 के कम में गठित समिति के नामित अधिकारी 1. श्री संदीप रॉय, वैज्ञानिक "घ", क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ 2. श्री अशीष चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, भू–वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झॉसी 3. श्री विकास सिंह परमार, खान अधिकारी, जनपद–हमीरपुर 4. श्री राज रंजन, खान अधिकारी, जनपद–बॉदा 5. श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉसी 6. डॉ0 माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा (नोडल) द्वारा दिनांक 01.07.2025 को खनिज विभाग, हमीरपुर कार्यालय में शिकायतकर्ता श्री राम मिलन के साथ बैठक एवं उनकी उपस्थिति में खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रुप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

"माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त जॉच समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद–हमीरपुर व जनपद–बॉदा की जॉच शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी– ग्राम + पोस्ट मुस्करा, थाना–मुस्करा, तहसील–मौदहा, जनपद–हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया, जॉच के समय पाया गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमगन हो गये है तथा क्षेत्रों में जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोई भी खनन गढ़ढा परिलक्षित नहीं हो रहा है ओर न ही किसी प्रकार की मशीनों से खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह से बारिस ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र तक पहुचने वाले रास्ते भी जलमगन हो गये है। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अगर भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमित्ता की जाती है तो सम्बन्धित विभाग व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचित करेंगें।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के कम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ मे मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

1. जनपद–जालौन तथा जनपद–झॉसी के खनन पट्टो तथा जनपद–जालौन व झॉसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
2. जनपद–हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या–10/6, ग्राम–चण्डौत खण्ड संख्या–21/1 एवं ग्राम–इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गढ़ढो की शिकायत है।
3. उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई शिकायत नहीं है।''(साक्ष्य संलग्न)

निरीक्षण के समय के फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:–

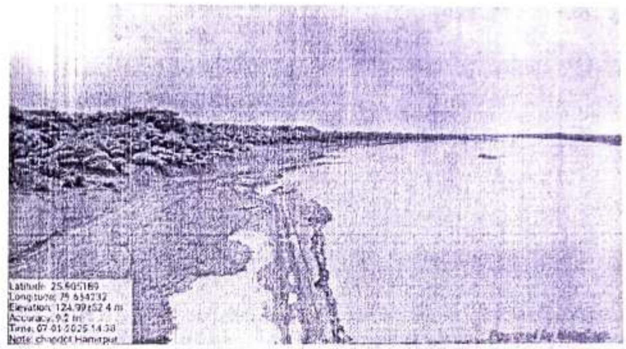
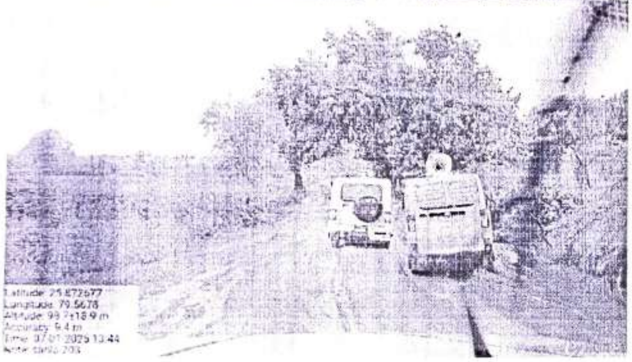

<u>जनपद–हमीरपुर में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:–</u>

1. <u>मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0–10/06, ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर।</u>

- मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0–10/06, ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP191792 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 196097/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 23.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 23.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6– यह कि खनन पट्टा मे0 कॅवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी–डी–19 सेक्टर–40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता–हाउस नं0–208 गली नं0–13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी खण्ड संख्या–10/6 रकबा–36.437 हे0 क्षेत्र पर बालू/मौरम खनन हेतु वार्षिक मात्रा–5,82,912 घन मीटर हेतु दिनांक–09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा खनन क्षेत्र की जांच दिनांक–24.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–551/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2023–24) दिनांक–05.07.2024 निर्गत करते हुये अर्थदण्ड रु0–11,14,470/–आरोपित किया गया। पट्टाधारक द्वारा

उक्त धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–233/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–23.07.2024 द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–23.12.2024 को जांच की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1418/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–26.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–5,00,000/– आरोपित किया गया। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.02.2025 को की गयी जिसमें पट्टधारक द्वारा 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1816/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–10.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–5,96,700/–आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन क्षेत्र में लगे वे–ब्रिज के माध्यम से दिनांक–09.11.2025 से 05.04.2025 तक निकासी किये गये उपखनिज के अवैध परिवहन किये जाने के कारण 356 वाहनों पर कुल रु0–1,52,74,484/– धनराशि आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को इस कार्यालय के आदेश संख्या–141/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–24.04.2025 द्वारा खनन पट्टा निरस्त करते हुये देय बकाया धनराशि ससमय जमा करने हेतु तथा ससमय न जमा किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भॉति वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. <u>मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0–21/1, ग्राम–चण्डौत, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर</u>

- मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0–21/1, ग्राम–चण्डौत, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP115799 दिनांक 23.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 195179/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 29.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या 21/1–यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 रकबा–16.00 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,40,000 घन मीटर खनन हेतु दिनांक– 09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला जनपद हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–19.03.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–39/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–04.04.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–58,32,500/– आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–623/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–20.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक–15.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1350 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–381/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–12,15,000/–आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–230/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2024–25) दिनांक–23.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत, लेखपाल चण्डौत डाड़ा द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–18.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया गया तथा खनन क्षेत्र में सी0सी0सी0टी0 कैमरा नही लगाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1226/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2024–25) दिनांक–26.11.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–51,02,640/–आरोपित किया गया।

तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1459 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 505 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–189 / खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–4,54,500 / – अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.04.2025 की गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–236 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–15.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–17,10,000 / –आरोपित किया गया है।

- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या–एच18723 / सी–2 / सा0–668 / 24 दिनांक 16.10.2024 द्वारा रू0–1,04,96,250 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

3. **मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, खण्ड नं0–25 / 17, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर।**

- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25 / 17– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पता–पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरुवार्ड नं0–13 अल्का टाकीज के पास पिपरिया हौशंगाबाद म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25 / 17 रकबा–12.145 हे0 वार्षिक आकंलित मात्रा–1,94,296 घन मीटर हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1737 / खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2022–23) दिनांक–21.02.2023 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्तमान समय में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में है।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल / वायु निर्गत नहीं है।

4. **मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0–25 / 18, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर।**

- मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0–25 / 18, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP110127 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205700/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल / वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25 / 18– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी–9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर, रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25 / 18 रकबा–8.180 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 1,30,864 घन मीटर खनन हेतु दिनांक–16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 15.06.2024 संयुक्त रुप से की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–382 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–16,38,000 / – आरोपित किया गया है। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक

——5

चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–12.12.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक 10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–1348 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–12.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–94,50,000 / –आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् आदेश संख्या–1557 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–11.02.2025 को की गयीं जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 650 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–196 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–5,85,000 / –अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

5. मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0–25 / 21, ग्राम–इछौरा जिटकरी, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर।

- मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0–25 / 21, ग्राम–इछौरा जिटकरी, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP180555 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 206013/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल / वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.04.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25 / 21– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुँआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25 / 21 रकबा–17.731 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,83,661 घन मीटर खनन हेतु दिनांक–11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–22.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण 12 दिन की शास्ति रु0–3,00,000 / –आरोपित की गयी है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1458 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–12.12.2024 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–15.01.2025 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उपनिरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–30.01.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–1732 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 27.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–15,12,500 / – आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1923 / खनिज– एम0एम0सी–तीस– विविध (2024–25) दिनांक–28.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–06.03.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नही पाया गया। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र की जांच दिनांक–19.04.2025 को की गयी।

जांच में 06 Suction Pump Machine/Lefter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने पर उक्त मशीनों को सम्बन्धित थानें की सुपुर्दगी में देते हुये पत्र संख्या–101/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–19.04.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–30,00,000/– आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–276/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–28.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 300 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–197/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–2,70,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

<u>जनपद–बॉदा में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:–</u>

1. मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0–1971/1, ग्राम–गंछा, तहसील व जनपद–बॉदा।

- मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0–1971/1, ग्राम–गंछा, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5134183N दिनांक 08.10.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 223566/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.10.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम–मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–गंछा के गाटा सं0–1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा–पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3946/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,52,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,52,700/– चालान नं0–AKV240025816 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0–AKV240025815 दिनांक 24.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

2. मैसर्स मयूर बॉक्साईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0–3), ग्राम–पथरी, तहसील व जनपद–बॉदा।

- मैसर्स मयूर बॉक्साईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0–3), ग्राम–पथरी, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP191707 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 204966/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 14.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी पता–6 फ्लोर, डी0एन0–24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर–5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता–कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी–वार्ड नं0–14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,

आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–पथरी के गाटा सं0–72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0–03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 3373 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3430/खनिज–30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 30,35,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 30,35,700/– चालान नं0–AKV240022184 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3985/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 19,49,850/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 19,49,850/– चालान नं0–AKV240026036 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 6854.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4755/खनिज–30 बांदा दिनांक 07.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 61,69,050/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–170/खनिज–30 बांदा दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 61,69,050/– विभिन्न चालान नं0–AKV250012310 दिनांक 24.04.2025 रू0 10,00,000/–, चालान नं0–AKV250013729 दिनांक 08.05.2025 रू0 25,00,000/– व चालान नं0–AKV250013760 दिनांक 08.05.2025 रू0 26,69,050/– द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5202/खनिज–30 बांदा दिनांक 18.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,28,66,875/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–299/खनिज–30 बांदा दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा नोटिस दिनांक 18.03.2025 व स्पष्टीकरण निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध मा0 न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के अपील सं0–742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

——8

"पक्षो के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा समय के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में अपील पंजीकृत की जाती है। स्थगन के संबंध में अपीलकर्ता के कथनों में बल प्रतीत होता है। ऐसी दशा में अग्रिम नियत तिथि तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2025/17.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। गुणदोष पर निस्तारण हेतु अवर कार्यालय की पत्रावली एवं प्रस्तरवार आख्या तलब की जाये। पत्रावली दिनंक 12.06.2025 को पेश हो।"

उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय पत्र सं0–1011/खनिज–30 बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा पत्रावली व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन की कुल धनराशि रू0 3,28,66,875/– से से आंशिक धनराशि रू0 50,00,000/– विभिन्न चालानो के माध्यम से जमा किया गया है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–667/खनिज–30 बांदा दिनांक 06.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,93,26,400/– से अवगत कराया गया।

3. **मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा0लि0, गाटा नं0–333/7, खण्ड नं0–5, ग्राम–मरौली खादर, तहसील व जनपद–बॉदा।**

- मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा0लि0, गाटा नं0–333/7, खण्ड नं0–5, ग्राम–मरौली खादर, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP162818 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 179001/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.04.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार डेस्कोन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी–128/189, के0 ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम–मरौलीखादर के गाटा सं0–333/7 का भाग (खण्ड सं0–05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3378/खनिज–30 बांदा दिनांक 16.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 54,19,000/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 54,19,000/– को चालान नं0–AKV240021828 दिनांक 16.10.2024 रू0 25,00,000/– व चालान नं0–AKV240022391 दिनांक 22.10.2024 रू0 29,19,000/– द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2991.75 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के

नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3986 / खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 26,92,575 / – से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 29,92,575 / – को चालान नं0–AKV240026050 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4470 / खनिज–30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,34,080 / – से अवगत कराया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1150 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4852 / खनिज–30 बांदा दिनांक 17.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,35,000 / – से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,35,000 / – को चालान नं0–AKV250015095 दिनांक 22.05.2025 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 24203.75 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–183 / खनिज–30 बांदा दिनांक 08.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 2,17,83,375 / – से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 05.5.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–1310 / खनिज–30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

4. **मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम–मडौली खुर्द खादर, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा।**

- मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम–मडौली खुर्द खादर, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5972290N दिनांक 15.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205059/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 15.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल / वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 15.03.2024 से 31.12.2025 तक है।

- यह कि खनन विभाग, जनपद–बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निवासी–94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म0नं0–72 साई नगर फेस–2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम–मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0–58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1651.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3948/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 27,13,500/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 27,13,500/– चालान नं0–AKV240025886 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4569/खनिज–30 बांदा दिनांक 16.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 50,62,050/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–1323/खनिज–30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 17298.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5238/खनिज–30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 1,55,68,650/– से अवगत कराया गया।

5. मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं0–पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं0–01, ग्राम–मरौली खादर, जनपद–बाँदा।

- मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं0–पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं0–01, ग्राम–मरौली खादर, जनपद–बाँदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP141265 दिनांक 29.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 209807/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 13.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 13.05.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी–14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–मरौलीखादर के गाटा सं0–333/7 का भाग (खण्ड सं0–01) कुल रकवा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1403 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3431/खनिज–30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 12,62,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 12,62,700/– चालान नं0–AKV240022185 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3984/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 20,98,800/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 20,98,800/– चालान नं0–AKV240026063 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4454/खनिज–30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,26,600/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,26,600/– को चालान नं0–AKV250000702 दिनांक 08.01.2025 रू0 15,00,000/– व चालान नं0–AKV250001039 दिनांक 11.01.2025 रू0 16,26,600/– द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–964/खनिज–30 बांदा दिनांक 22.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,97,500/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,97,500/– चालान नं0–AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

6. मैसर्स शुद्धतम इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0–62 व 63/1, ग्राम–खपटिहाकलां, तहसील पैलानी, जनपद बाँदा ।

- Suddhatam Enterprises प्रो0 श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी–145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम–खपटिहाकलां के

गाटा सं0–62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा–पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।

- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 1101.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3947/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 9,91,350/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 9,91,350/– चालान नं0–AKV240025804 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0–AKV240025897 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4382/खनिज–30 बांदा दिनांक 30.12.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,65,450/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 39,65,450/– चालान नं0–AKV240029987 दिनांक 31.12.2024, चालान नं0–AKV240029984 दिनांक 31.12.2024 व चालान नं0–AKV240029990 दिनांक 31.12.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2078 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5240/खनिज–30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 18,70,200/– से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2875.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–28/खनिज–30 बांदा दिनांक 02.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 25,87,950/– से अवगत कराया गया।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त दिये गये सुझाव एवं उपचारात्मक कार्यवाही निम्नवत् है:–

1. खनन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक खनन पट्टों में खनन विभाग द्वारा जारी जियो को–आर्डिनेट के अनुसार पिलर की स्थापना किया जाये, साथ ही प्रत्येक पट्टाधारक के पास के0एम0एल0 फाईल उपलब्ध हो, जिससे की खनन के दौरान अपने क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने की सम्भावना नगण्य हो।

2. वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु टैंकर से जल का छिड़काव किया जाये एवं मौरम को गीला कर तिरपाल से ढक कर अवागमन हेतु प्रयोग किया जाये तथा उक्त के सम्बन्ध में लॉग बुक मेन्टेन की जाये।
3. जनपद–हमीरपुर एवं बॉदा में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सघन वृक्षारोण किया जाये, जिसकी प्रगति आख्या एवं विवरण सम्बन्धित विभागो को फोटोग्राफ्स सहित प्रेषित किया जाये।
4. सी0ई0आर0 के मद में आवंटित धनराशि को पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही खर्च किया जाये।
5. जल धारा को अवरोधित किये बिना स्वीकृत खनन क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायें।
6. खनन क्षेत्र में अस्थाई (Bio-Toilet) को स्थापित कर प्रयोग किया जायें।
7. खनन क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु कलर कोड के अनुसार डस्ट बिन स्थापित कर प्रयोग किया जाये एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम् से अपशिष्ट का निरतारण किया जाये।
8. जनपद में संचालित खनन पट्टो की जांच समय–समय पर अथवा माह में कम से कम एक निरीक्षण अवश्य रूप से कर ली जाए।

डॉ0 माधवी कमलवंशी,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

इमरान अली,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉसी

राज रंजन,
खान अधिकारी,
जनपद–बॉदा

राम पदारथ सिंह,
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
जनपद–झांसी

जी0के0 दत्ता,
खान अधिकारी,
जनपद–जालौन

विकास सिंह परमार,
खान अधिकारी,
जनपद–हमीरपुर

अशीष चौधरी,
क्षेत्रीय अधिकारी,
भू–वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
झॉसी

संदीप रॉय,
वैज्ञानिक "घ",
क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ

Annexure No- R2

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 233 /खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 23.07. 2024

आदेश

मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कवंर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी–डी–19 सेक्टर–40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6 रकबा–36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–254/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–24.06.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:–

"मै0 कवंर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेषक कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हजभजन सिंह निवासी–डी–19 सेक्टर–40 नोएडा, गोतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अपने क्षेत्र के पूरब दिषा में पिलर संख्या–बी के बगल में वाहनों के आवागमन हेतु बने रास्ते के पूरब दिषा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.8 मीटर मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर 0.7 मीटर गहराई x 61 मीटर लम्बाई x 29 मीटर चौड़ाई में कुल **1238.3 घन मीटर** बालू/मौरम का अवैध खनन हो पाया गया।"

पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–03 व 21 का उल्लघंन एवं नियम–58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधं है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र बाहर अवैध खनन किये जाने पर नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–1,85,745/– (रुपये एक लाख पचासी हजार सात सौ पैतालिस मात्र), बाजार मूल्य रु0–9,28,725/–(रुपये नौ लाख अठ्ठाइस हजार सात सौ पच्चीस मात्र) कुल रु0–11,14,470/–(रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी–डी–19 सेक्टर 40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 को कार्यालय के पत्र संख्या–551/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–05.07.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। परन्तु पट्टाधारक द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस दिनांक–05.07.2024 के क्रम में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टाधारक को अपनी सफाई में कुछ नही कहना है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील हमीरपुर ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6 क्षेत्रफल–36.437 हे0 पर 1238.3 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य की कुल धनराशि रु0–11,14,470/–(रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक–0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होगें।

Rahul
23.7.24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3– मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी–डी–19 सेक्टर 40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0।

Rahul
23.7.24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

27/07/2024

555

Annexure No-R3

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 1418 /खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2023–24) दिनांक– 26/12/2024

मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0,
निदेशक श्री कवंर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह,
निवासी–डी–19 सेक्टर–40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6 में स्थित 36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–254/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–23.12.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:–

"जांच में पाया गया कि ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6 जो ग्राम इन्द्रपुरी के तरफ स्थित है। जांच में खनन क्षेत्र में सीमास्तम्भ लगे पाये गये व पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया। पट्टाधारक अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाये गये परन्तु पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में नदी की जलधारा में खनन कार्य किया जाना पाया गया तथा खनन पट्टा क्षेत्र के पूरब दिशा में खण्ड संख्या–10/6 के पट्टाधारक द्वारा रिक्त पड़े खण्ड संख्या–10/5 के क्षेत्र में परिवहन हेतु रास्ता बनाया गया है, जबकि अवैध खनन नही किया गया है। पट्टाधारक प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य करें।"

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) का उल्लघंन एवं नियम–60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आप द्वारा नदी की जलधारा में खनन कार्य किये जाने पर नियमावली–2021 के नियम–60(4) के अन्तर्गत कुल रु0–5,00,000/–(रुपये पांच लाख मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा जलधारा में खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नही दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नही पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

26.12.24

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
हमीरपुर

o/c

बीमा नहीं/NOT INSURED
क्रमांक/No. ...
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य / Amount of Stamps affixed Rs. P.
तारीख-मोहर / Date-stamp
एक रजिस्ट्री* / Received a Registered
पाने वाले का नाम/Addressed to
पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of Receiving Officer

उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

26.12.24

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
हमीरपुर

o/c 1410

Annexure NOR 4

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 1816 /खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 16/03/ ,2025

मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0,
निदेशक, कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह,
निवासी–अनिल कुमार सिंह पता–हाउस नं0–208 गली नं0–13
लिपर्टी शोरुप के पास, भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6 में स्थित 36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–254/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.02.2025 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:–

"जांच के समय ग्राम इन्द्रपुरी के खण्ड संख्या–10/6 के पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व दिशा में अवैध खनन होने के साक्ष्य पाये गये, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1– जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°877344" N 79°926649"E व 25°877222" N 79°925862"E के मध्य 79X28X0.3 =663 घन मीटर

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नही पाया गया।"

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 का उल्लघंन एवं नियम–58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 663 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–99,450/–(रुपये निन्नयानवे हजार चार सौ पचास मात्र) तथा खनिमूल्य मूल्य रु0–4,97,250/–(रुपये चार लाख सत्तानवे हजार दो सौ पचास मात्र) कुल रु0–5,96,700/–(रुपये पांच लाख छियानवे हजार सात सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नही दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नही पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c 1602

Annexure No. R5

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या 623 /खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 20-07-, 2024

आदेश

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–1000/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी, हमीरपुर, तहसीलदार सरीला, राजस्व निरीक्षक चण्डौत डाड़ा एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–19.03.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैः–

"जांच के समय खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मौके से वाहन छोडकर भाग गये तथा पट्टाधारक भी मौके पर उपस्थित नही हुआ, जिसके पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या–N-25°54'21.031" E-79°39'8.568' के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या–बी व सी स्थापित नही पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे–ब्रिज व कैमरे की जांच के समय वे–ब्रिज पर स्थापित कैमरे लगे पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झूकी पायी गयी, जिससे वाहन पर भरी मौरम की मात्रा दिखाई नही दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे–ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करे कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ–साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनो पिलर को तत्काल लगाते हुये, उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर–6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है।"

पट्टाधारक का उक्त उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 का उल्लघंन एवं नियम–58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व नियम–36(1) तथा नियम–60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 6425 घन मीटर बालू/मौरम की रायल्टी रु0–9,63,750/–(रुपये नौ लाख तिरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) तथा बाजारु मूल्य रु0 48,18,750/–(रुपये अठ्तालिस लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) तथा पिलर न लगाये जाने के कारण नियम–60 के अन्तर्गत रु0–50,000/– अर्थात कुल रु0–58,32,500/– (रुपये अठठावन लाख बत्तीस हजार पॉच सौ मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार को कार्यालय के पत्र संख्या–39/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–04.04.2024 द्वारा कारण बताओ

नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक–04.04.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक–10.04.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "निरीक्षण की सूचना, निरीक्षण की प्रति उपलब्ध कराया जाना तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण किये जाने के उपरान्त ही किसी पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गई और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध कराई गयी और कारण बताओं नोटिस दिनांक–04.04.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य का उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गढ्ढे/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो मा0 न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुबन्ध नही है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक–04.04.2024 को निक्षेपित करने की कृपा करें।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक–10.04.2024 में मुख्य रुप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला, राजस्व निरीक्षक चण्डौत डाडा एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक–19.03.2024 को संयुक्त रुप से की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या–N-25o54'21.031" E-79o39'8.568' के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या–बी व सी स्थापित नही पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे–ब्रिज व कैमरे की जांच के समय वे–ब्रिज पर स्थापित कैमरे लगे पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झूकी पायी गयी, जिससे वाहन पर भरी मौरम की मात्रा दिखाई नही दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे–ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करे कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ–साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनो पिलर को तत्काल लगाते हुये, उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर–6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक–19.03.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या–39/खनिज दिनांक–04.04.2024 में स्पष्ट रुप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नही है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या–21/1 की जांच के समय खनन क्षेत्र में खण्ड संख्या–21/1 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन करने के कारण ही जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। पट्टाधारक को कार्यालय के पत्र दिनांक–06.03.2024 द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम-36 के अन्तर्गत पिछले 30 दिनों का सी0सी0टी0वी0 कैमरा व आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर का डाटा मांगा गया, किन्तु पट्टाधारक द्वारा जानबूझकर अवैध खनन/परिवहन की गतिविधियों

R

का साक्ष्य छुपाये जाने के उद्देश्य से उपलब्ध नही कराया गया। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 क्षेत्रफल-16.00 हे0 पर 6425 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य तथा पिलर न लगाये जाने के कारण नियम-60 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति कुल धनराशि रु0-58,32,500/- आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होगें।

20/07/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

3- मै0 ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी--128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

20/07/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

22/07/24

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 230 /खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 23-07-2024

आदेश

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–1000/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–15.06.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैः–

"जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1–जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.33" N 79°39'29.16"E के आसपास 50X15X1 =750 घन मीटर

2–जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.43" N 79°39'28.31"E के आसपास 40X15X1 =600 घन मीटर

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल **1350 घन मीटर** का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नही पाया गया।"

पट्टाधारक उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 का उल्लघंन एवं नियम–58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 1350 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–2,02,500/–(रुपये दो लाख दो हजार पांच सौ मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0–10,12,500/–(रुपये दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) कुल रु0–12,15,000/–(रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार को कार्यालय के पत्र संख्या–381/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–22.06.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक–22.06.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक–17.07.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "उक्त अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मैने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन नही किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के खण्ड में जांच टीम ने न तो कोई खनन करते हुये किसी को देखा है और न ही खनन में प्रयोग की जाने वाली मशीनों को पकड़ा है। कारण बताओं नोटिस में जो 690 मीटर दूर पूरब दिशा में अवैध खनन दर्शाया गया है वह प्रार्थी व प्रार्थी के किसी भी कर्मचारी द्वारा नही किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओं नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नही करायी गई है। निरीक्षण की सूचना निरीक्षण की प्रति उपलब्ध कराये जाना तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण किये जाने के उपरान्त ही किसी पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गयी और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गई और कारण बताओं नोटिस दिनांक–22.06.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य को उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गढ्ढे/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अनुमन्य नही है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक–22.06.2024 को निक्षेपित करने की कृपा करें।" उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक–17.07.2024 में मुख्य रुप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–15.06.2024 को की गयी। जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा कुल 1350 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक–15.06.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या–381/खनिज दिनांक–22.06.2024 में स्पष्ट रुप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नही है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या–21/1 की जांच के समय खनन क्षेत्र में खण्ड संख्या–21/1 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन करने के कारण ही जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक–17.07.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक–17.07.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

R

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 क्षेत्रफल–16.00 हे0 पर 1350 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य की कुल धनराशि रु0–12,15,000/–(रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक–0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होगें।

(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित **को सूचनार्थ प्रेषित।**

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

3– मै0 ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

Annexure-NO-R 7

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 1459/खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 30/12/2024

आदेश

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 रकबा–16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–1000/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत एवं लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–18.11.2024 को जांच की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:–

"जांच के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा पुल के बगल में पूरब दिशा की तरफ नदी की धारा को रोकते हुये अस्थाई रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था, जिससे मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये है तथा पुल के पश्चिम दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टेधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई, 172 मीटर लम्बाई व 0.3 मीटर गहराई में डोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन कराया गया व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32 मीटर चौड़ाई, 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जाते समय तीन वाहन बेव ब्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये जिस पर कोई नम्बर प्लेट व माइन टैग नही लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्तम्भ लगे पाये गये, पी0टी0जेड कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नही पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो बे–ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि बेव ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपखनिज भरा हुआ है नजर न आये जिसे सही करने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया। बेव ब्रिज से होकर गुजरने वाले वाहनों के रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता भी अवैध परिवहन कराने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसे बन्द कराने का भी मौखिक रुप से पट्टाधारक प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में 60मी0X172मी0X0.3 मीटर में कुल 3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32मी0X54मी0X1.2मीटर कुल 2073.6 घन मीटर अर्थात कुल 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।"

पट्टाधारक का उक्त उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 का उल्लघंन व नियम–21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 5169.6 घन मीटर बालू/मौरम की रायल्टी रु0–7,75,440/ (रुपये सात लाख पच्चहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) तथा बाजारु मूल्य रु0–38,77,200/–(रुपये अड़तीस लाख सत्तत्तर हजार दो सौ मात्र) अर्थात कुल रु0–46,52,640/–(रुपये छियालिस लाख बावन हजार छः सौ चालीस मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता को कार्यालय के पत्र संख्या- 1226 / खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-26.11.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-26.11.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-14.12.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मैने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन नही किया है एवं रास्ते के निर्माण में जो अवैध खनन व परिवहन का आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रार्थी ने पिछले वर्ष की भॉति इस वर्ष भी पुल के नीचे वर्षा के कारण बने गढ्ढो के अगल-बगल मे जमा बजड़ा एवं मिट्टीयुक्त बालू को उठाकर खनन क्षेत्र तक रास्ता बनाया है न की अवैध खनन कर परिवहन किया है। प्रार्थी के खण्ड में जांच टीम ने न तो कोई अवैध खनन करते हुये किसी को देखा है और न ही खनन में प्रयोग किये जाने वाली मशीनों को पकड़ा है। यहां जो भी अगल-बगल से अवैध खनन दर्शाया गया है वह अवैध खनन न होकर मात्र रास्ते में प्रयोग किये जाने वाला बजड़ा व मिट्टी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओं नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नही कराई गई है। अतः कारण बताओं नोटिस दिनांक-26.11.2024 विधिक दृष्टि में पोषणनीय नही है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुमन्य नही है। सीमा स्तम्भ के फोटोग्राफ दिनांक-01.11.2024 से 18.11.2024 तक की रिकार्डिंग प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर रहा है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचारकर कारण बताओं नोटिस दिनांक-26.11.2024 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-14.12.2024 में मुख्य रुप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि जांच के दौरान प्रश्नगत क्षेत्र में पट्टाधारक द्वारा पुल के बगल में पूरब दिशा की तरफ नदी की जलधारा को रोकते हुये अस्थाई रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था, जिससे मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा पुल के पश्चिम दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टाधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई, 172 मीटर लम्बाई व 0.3 मीटर गहराई में डोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन कराया गया व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 30 मीटर चौड़ाई, 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जाते समय तीन वाहन वे-ब्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये, जिस पर कोई नम्बर प्लेट व माइन टैग नही लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्तम्भ लगे पाये गये, पी0टी0जेड0 कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नही पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो वे-ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि वे-ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपखनिज भरा हुआ है नजर न आये। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पुल के मध्य पश्चिम दिशा में कुल 3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर कुल 2073.6 घन मीटर अर्थात कुल 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-18.11.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-1226 / खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-24) दिनांक-03.07.2024 में स्पष्ट रुप से किया

गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नही है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या–21/1 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में तथा पूरब दिशा में कुल 5169 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने की संयुक्त टीम की जांच में पुष्टि की गयी है। पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन में दिनांक-- 01.11.2024 से 18.11.2024 तक की रिकार्डिग संलग्न होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु रिकार्डिंग उपलब्ध नही करायी गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक–16.07.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक–16.07.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरों को दिनांक–01.11.2024 से 18.11.2024 तक (18 दिन) की रिकार्डिंग उपलब्ध नही कराया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(2) का उल्लघंन किये जाने के कारण नियम–60(3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन रु0–25,000/--की दर से 18 दिन का कुल 4,50,000/–(रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) की देयता होती है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 के पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिजमूल्य की कुल रु0–46,52,640/–(रुपये छियालिस लाख बावन हजार छः सौ चालीस मात्र) व खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरों की शास्ति रु0–4,50,000/– अर्थात कुल रु0–51,02,640/–(रुपये इक्कयावन लाख दो हजार छः सौ चालीस मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक–0853 मे 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होगें।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
o/c हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1-- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

3-- मै0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी--128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

30/12/24

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

Annexure NO- R 8 566

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 189/खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2025–26) दिनांक– 07/05/2025

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता,
पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक,
किदवई नगर जनपद कानपुर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 रकबा–16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0–1000/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–35/एम–प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक–08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक–02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गढ्ढों के आकंलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई–एम0एम0–11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई–एम0एम0–11 के पोर्टल की मात्रा 28846 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गढ्ढो के अनुसार लब्ध मात्रा 29351 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 505 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–03 व 21 का उल्लघंन एवं नियम–58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 505 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 505 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–75,750/–(रुपये पच्हत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0–3,78,750/–(रुपये तीन लाख अठ्हत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) कुल रु0–4,54,500/–(रुपये चार लाख चौवन हजार पांच सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नही दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नही पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
o/c हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

8/08/2025

Annexure No- R9

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 236 / खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2025–26) दिनांक– 15/05/2025

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार,
प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता,
निवासी–128 / 346 एच0 ब्लाक किदवई नगर,
जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21 / 1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू / मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–1000 / –प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत / निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.04.2025 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैः–

"जांच के समय ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या–21 / 1 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पूर्व व उत्तर दिशा में अवैध खनन के 1–1 चिन्ह (गढ्ढे) देखे गये, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1– जी0पी0एस0 कोडिनेट्स A-N-25°908894" व E-79°651396" तथा कोडिनेट्स B-N-25°909786" व E-79°650351" के मध्य 140X15X0.5 = 1050 घन मीटर।

2– जी0पी0एस0 कोडिनेट्स P-N-25°91146" व E-79°648987" तथा कोडिनेट्स Q-N-25°912717" व E-79°647962" के मध्य 170X10X0.5 = 850 घन मीटर।

कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नही पाया गया।"

उपरोक्तानुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व व उत्तर दिशा में 02 स्थानों पर कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–03 व 21 का उल्लघंन एवं नियम–58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पूर्व व उत्तर दिशा में कुल–1900 घन मीटर अवैध खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 1900 घन मीटर बालू / मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–2,85,000 / – (रुपये दो लाख पचासी हजार मात्र), खनिमुख मूल्य रु0–14,25,000 / –(रुपये चौदह लाख पचीस हजार मात्र) कुल रु0–17,10,000 / –(रुपये सत्रह लाख दस हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना साक्ष्य स्पष्टीकरण समस्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य

किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नही दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नही पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर

16/05/2025

Annexure No- R10

1

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 382 / खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 22.06.2024

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0,
निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया,
निवासी–9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर,
रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/18 रकबा–8.180 हे0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–567/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–15.06.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:–

> "जांच के समय ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/18 के बाहर लगभग 200 मीटर पूरब दिशा में 04 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या–25/19 की तरफ अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :–
>
> 1– जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'28.86" N 79°31'47.05"E के आसपास 40X20X1 =800 घन मीटर
>
> 2– जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'34.17" N 79°31'53.27"E के आसपास 15X10X1.2 =180 घन मीटर
>
> 3– जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'32.89" N 79°31'54.45"E के आसपास 75X14X0.8 =840 घन मीटर,
>
> इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नही पाया गया।"

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 का उल्लघंन एवं नियम–58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 1820 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–2,73,000/–(रुपये दो लाख तिहत्तर हजार मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0–13,65,000/–(रुपये तेरह लाख पैसठ हजार मात्र) कुल रु0–16,38,000/–(रुपये सोलह लाख अड़तीस हजार मात्र) की देयता बनती है।

R

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नही दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नही पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

22-6/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

22/6/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

बीमा नहीं/NOT INSURED
382 क्रमांक/No. RN-171342301-IN
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु. 26 पै.
Amount of Stamps affixed Rs. 26 P.
तारीख-मोहर Date-stamp
एक रजिस्टर्ड ... प्राप्त किया
Received a Registered
पाने वाले का नाम Addressed to
पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

Annexure No- R 11

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या 1557 / खनिज- एम0एम0सी0-तीस--विविध (2024-25) दिनांक- 22/01/2025

आदेश

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौररिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 में स्थित 8.180 है0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक-12.12.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है :-

"जांच में पाया गया कि ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये, जिसमें से अवैध खनन के क्षेत्रफल 350 मी0ल0 X 50 मी0चौ0 X 0.6 मी0ग0 कुल 10500 घन मीटर में बालू/मौरम का अवैध खनन पाया गया, जिसके जी0पी0एस0 कोडिनेट् ABCDEFGHI निम्नवत है :-

A-N-25°53'18.25"	E-79°31'26.46"	B-N-25°53'15.95"	E-79°31'23.56"
C-N-25°53'13.72"	E-79°31'21-42"	D-N-25°53'10.04"	E-79°31'17.42"
E-N-25°53'11.50"	E-79°31'16-64"	F-N-25°53'14.88"	E-79°31'19.57"
G-N-25°53'15.98"	E-79°31'20-89"	H-N-25°53'17.67	E-79°31'23.00"
I-N-25°53'19.55"	E-79°31'25-11"		

अतः उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर 350 मी0ल0 X 50 मीटर चौ0 X 0.6 मीटर ग0 में कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया। पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लघंन एवं नियम 58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 10500 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-15,75,000/-(रुपये पन्द्रह लाख पच्चहतर हजार मात्र), बाजार मूल्य रु0-78,75,000/-(रुपये अठहत्तर लाख पच्चहत्तर हजार मात्र) कुल रु0-94,50,000/-(रुपये चौरानवे लाख पचास हजार मात्र) की देयता बनती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्दशेखर चौरसिया को कार्यालय के पत्र संख्या-1348/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक-12.12.2024 के क्रम में प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता ने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन नहीं किया गया है तथा नोटिस दिनांक-12.12.2024 में कोई साक्ष्य उल्लिखित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओं नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी है। पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को निरीक्षण करने की कोई

सूचना दी गयी और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गयी और कारण बताओं नोटिस दिनांक–12.12.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य का उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के ताजे गड्ढे/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अनुमन्य नही है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक–12.12.2024 को निक्षेपित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक–24.12.2024 में मुख्य रुप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि जांच में पाया गया कि ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या–25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या–25/17 में रास्ता बनाकर 350 मी0ल0 X 50 मी0चौ0 X 0.6 मी0ग0 कुल 10500 घन मीटर में बालू/मौरम का अवैध खनन करने के साक्ष्य पाया गया है। खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की जांच आख्या दिनांक–12.12.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या–1348/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–12.12.2024 में करते हुये प्रेषित किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नही है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या–25/18 की जांच के समय पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या–25/17 में रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन के साक्ष्य पाये जाने के कारण ही संयुक्त जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक–24.12.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक–24.12.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/18 क्षेत्रफल–8.180 हे0 के पट्टाधारक द्वारा 10,500 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण उन पर कुल रु0–94,50,000/–(रुपये चौरानवे लाख पचास हजार मात्र) आरोपित की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक–0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होगें।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
o/c हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी 99 पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 उ0प्र0।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c 1493

Annexure No- R 12

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या-- 196 / खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2025–26) दिनांक– 07/05/,2025

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0,
निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया,
निवासी–9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल
कालेज हुजुर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/18 रकबा–8.180 हे0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0–567/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–35/एम–प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक–08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक–02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गढ्ढों के आकंलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई–एम0एम0–11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई–एम0एम0–11 के पोर्टल की मात्रा 12516 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गढ्ढो के अनुसार लब्ध मात्रा 13,166 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 650 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–03 व 21 का उल्लघंन एवं नियम–58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 650 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 650 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–97,500/–(रुपये सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0–4,87,500/–(रुपये चार लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) कुल रु0–5,85,000/–(रुपये पांच लाख पचासी हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नही दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नही पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

15/5/25

Annexure No-R-13

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या–1458/ खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक 30/12/2024

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भॅवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0–630/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, सरीला द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–22.11.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:–

"जॉच के समय खनन कार्य अपनी स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत पाया गया। पट्टेधारक द्वारा जिस स्थान पर खनन कार्य किया जा रहा था, उस स्थान से पूरब की तरफ लगभग–266 मीटर व पश्चिम की तरफ लगभग–250 मीटर तथा उत्तर की तरफ 180 मीटर खनन क्षेत्र रिक्त पड़ा था, जो कि खण्ड संख्या–25/21 का आवंटित क्षेत्र है। क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला एवं उनकी टीम ने प्रश्नगत खण्ड से वन क्षेत्र की दूरी मापी, जो लगभग 1.5 किलो मीटर की दूरी पायी गयी। तत्पश्चात् नदी की मुख्य धारा प्रवाहित हो रही थी। नदी की मुख्य धारा में कही भी खनन कार्य होना नही पाया गया व न ही खनन क्षेत्र में कोई प्रतिबन्धित मशीन पायी गयी। पट्टेधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नही लगाया गया था, जिसे मौके पर ही लगवा दिया गया। स्वीकृत क्षेत्र में नियमानुसार पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया जाना चाहिये थो, जो पट्टेधारक द्वारा नही लगाया गया था, जिसे तत्काल लगाने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु स्थापित वे–ब्रिज व सी0सी0टी0वी0 कैमरे की जॉच की गयी, जॉच के समय सभी कैमरे सही पाये गये, किन्तु एक कैमरा जो वे–ब्रिज पर खड़े वाहन के पीछे की तरफ से फोटो ले रहा था, उस कैमरे का फोकस नीचे की तरफ किया गया था, जिससे की वाहन पर भरे उपखनिज का पूरा फोटो नही आ रहा था, जिसे मौके पर ही सही करा दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में सभी कैमरो के सही तरीके से स्थापित करें। ताकि वाहनों के आगे व पीछे का फोटो मय उपखनिज स्पष्ट रुप से नजर आता रहें।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ होने के दिनांक–11.11.2024 से जांच तिथि–22.11.2024 तक कुल 12 दिन की होते है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(2) का उल्लघंन उल्लघंन है, जिसके परिणाम स्वरुप नियमावली–2021 के नियम–60(3) के अनुसार रु0–25000/– प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रु0–3,00,000/–(रुपये तीन लाख मात्र) की देयता बनती है। उक्त के अतिरिक्त जांच तिथि–22.11.2024 के समय मौके पर खनन क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ नही लगे पाये जाने के कारण प्रत्येक सीमास्तम्भ रु0–25,000/–के हिसाब से कुल रु0–1,00,000/–(रुपये एक लाख मात्र) की देयता बनती है। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1308/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–09.12.2024 द्वारा संसूचित किया गया।

उक्त नोटिस दिनांक–09.12.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक–13.12.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "जांच टीम ने चारो स्तम्भों को नही पाया जिये मौके पर ही लगवा दिया गया, इससे स्पष्ट है कि सीमा स्तम्भ मौके पर मौजूद थे। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि सीमा स्तम्भ हमेशा अस्थाई रुप से बनवाये जाते है। प्रायः देखा जाता है कि गाँव के पालतू जानवर सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर जाते है और खड़े सीमास्तम्भों को गिरा देते है किन्तु प्रार्थी के कर्मचारी उसे तत्काल पुनः स्थापित कर देते है। इसके अतिरिक्त जांच टीम ने स्वीकृत क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा नही पाया। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि प्रार्थी का उपरोक्त खण्ड संख्या–11.11.2024 को स्वीकृत/निष्पादित किया गया था किन्तु रायल्टी पोर्टल से जांच की जा सकती है कि खनन कार्य दिनांक–29.11.2024 से ही प्रारम्भ हुआ है क्योंकि तौल कांटा नही हो पाया था। खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ की दिनांक–11.11.2024 से जांच तिथि 22.11.2024 तक कुल 12 दिन होते है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(2) का उल्लघंन है, जिसके परिणाम स्वरुप नियमावली–2021 के नियम–60(3) के अनुसार रुपये 25 हजार प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रुपये 03 लाख की देयता बनती है। जांच के समय खनन क्षेत्र में 04 सीमा स्तम्भ नही लगे पाये जाने के कारण प्रत्येक सीमा स्तम्भ रुपये 25 हजार के हिसाब से कुल 01 लाख रुपये की देयता बनती है। पी0टी0जेड0 कैमरा के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी ने पट्टा निष्पादित होते ही अपने क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा दिया था, किन्तु खनन कार्य दिनांक–19.11.2024 से प्रारम्भ हुआ तो ज्ञात हुआ कि पी0टी0जेड0 कैमरा सही ढंग से कार्य नही कर रहा है, तो उसे तत्काल मरम्मत के लिये भेजा गया, जिसे जांच तिथि के बाद तत्काल लगा दिया गया था। (पी0टी0जेड0 कैमरा की फोटोग्राफ संलग्न एवं चारो सीमा स्तम्भ के फोटोग्राफ संलग्न है) इस प्रकार प्रार्थी ने उ0प्र0 उपखनिज (परिहर) नियमावली–2021 के नियम–36(2) का उल्लघंन नही किया है एवं जांच तिथ तक प्रार्थी की खदान में खनन कार्य दिनांक–19.11.2024 से कुल 04 दिन ही हो पाया था।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक–13.12.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पट्टाधारक पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र की जांच के समय पट्टेधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नही लगाया गया था, जिसे मौके पर ही लगवा दिया गया। स्वीकृत क्षेत्र में नियमानुसार पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया जाना चाहिये थो, जो पट्टेधारक द्वारा नही लगाया गया था, जिसे तत्काल लगाने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। पट्टेधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नही लगाया गया था, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दिनांक–09.12.2024 निर्गत की गयी थी। पट्टाधारक द्वारा चारो सीमास्तम्भ के फोटोग्राफ प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है किन्तु पी0टी0जेड0 कैमरे की दिनांक–11.11.2024 से जांच तिथि–22.11.2024 तक कुल 12 दिन की रिकार्डिग उपलब्ध नही करायी गयी जबकि अनुरोध किया गया कि खनन पट्टा स्वीकृत होने के दिनांक–11.11.2024 के उपरान्त दिनांक–19.11.2024 से रायल्टी पोर्टल पर जनरेट की गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा दिनांक–11.11.2024 से 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत/निष्पादित किया गया है। यह पट्टाधारक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि पट्टा स्वीकृत होने के दिनांक से खनन पट्टें में पी0टी0जेड0 कैमरा को संचालित रखना चाहिये था, जो पट्टाधारक द्वारा नही किया गया। इसके अतिरिक्त चारो सीमास्तम्भ का प्रश्न है तो पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन के साथ चारो सीमास्तम्भ के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण 04 सीमास्तम्भों पर लगायी गयी शास्ति रु0–1,00,000/–को पृथक किया जाता है। शेष 12 दिन की पी0टी0जेड0 कैमरों की रिकार्डिग उपलब्ध न कराये जाने के कारण शास्ति आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत

प्रत्यावेदन दिनांक–13.12.2024 में उल्लिखित कथन सीमास्तम्भों पर आरोपित शास्ति को पृथक करते हुये शेष कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक–13.12.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ होने के दिनांक–11.11.2024 से जांच तिथि–22.11.2024 तक कुल 12 दिन की होते है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(2) का उल्लघंन उल्लघंन है, जिसके परिणाम स्वरुप नियमावली–2021 के नियम–60(3) के अनुसार रु0–25000/– प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रु0–3,00,000/–(रुपये तीन लाख मात्र) की देयता बनती है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 के पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज द्वारा पी0टी0जेड0 कैमरे की रिकार्डिंग उपलब्ध न कराये जाने के कारण कुल रु0–3,00,000/–(रुपये तीन लाख मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक–0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होगें।

(धनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3– मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

बीमा नहीं/NOT INSURED
क्रमांक/No. RU-180090305-w
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै० Rs. P.
Amount of Stamps affixed
514
तारीख-मोहर Date-stamp
एक रजिस्ट्री प्राप्त किया
Received a Registered
पाने वाले का नाम Addressed to
पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer
बीमा नहीं/NOT INSURED

Annexure No- R14

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 1923/खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 28/03/2025

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भॅवरकुंआ इन्दौर म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रु0–630/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उप निरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–30.01.2025 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैः–

"दिनांक–30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय खनन पट्टा क्षेत्र में सभी सीमास्तम्भ लगे पाये गये। खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया, परन्तु रिकार्डिंग नही दिखा सकें। ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी0पी0एस0 कोडिनेट्स संख्या–ए N-25.8906138 व " E-79.5407742 व कोडिनेट्स संख्या–बी N-25.890566 व " E-79.54021 व के मध्य 50मी0x25मी0चौ0x0.9मी0ग0 कुल–1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। जांच के समय पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन करना सुनिश्चित करें।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुल–1125 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–03, 21 व 42(ज) का उल्लघंन एवं नियम–58 व 60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर रिक्त क्षेत्र में कुल–1125 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 1125 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–1,68,750/–(रुपये एक लाख अरसठ् हजार सात सौ पचास मात्र), बाजार मूल्य रु0–8,43,750/–(रुपये आठ लाख तितालिस हजार सात सौ पचास मात्र) तथा नदी की जलधारा में खनन करने के कारण नियमावली–2021 के नियम–60(4) के अन्तर्गत रु0–5,00,000/– (रुपये पांच लाख मात्र) कुल रु0–15,12,500/–(रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) की देयता बनती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन को कार्यालय के पत्र संख्या–1732/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–27.02.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक–27.02.2025 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक–03.03.2025 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कभी भी अवैध खनन नही किया है तथा नोटिस दिनांक–27.02.2025 के साथ भी कोई साक्ष्य संलग्न नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओं नोटिस दिनांक–27.02.2025 के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति भी उपलब्ध नही कराई गयी है। अतः कारण बताओं नोटिस दिनांक–27.02.2025 विधिक दृष्टि में पोषणीय नही है। मा0 न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरिलिखित निर्णयों से स्पष्ट है कि निरीक्षण की सूचना, निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध कराये जाना तथा शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व आरोपित व्यक्ति को विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण उपलब्ध कराये के उपरान्त ही किसी

पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को क्षेत्र के निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गई और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गई और कारण बताओं नोटिस दिनांक–07.02.2025 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य संलग्न किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गढ्ढे/निशान पाये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के समीपवर्ती खनन अनुज्ञा धारक होने के आधार पर मात्र काल्पनिक अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो मा0 न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अन्तर्गत अनुमन्य नही है। कारण बताओं नोटिस दिनांक–27.02.2025 में नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु कारण बताओं नोटिस दिनांक–27.02.2025 में कौन से साक्ष्य पाये गये है, उनका कोई उल्लेख वर्णित नही किया गया है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के विनम्र स्पष्टीकरण पर विचार कर विषयगत कारण बताओं नोटिस दिनांक–27.02.2025 को न्यायहित में निक्षेपित करने की कृपा करें।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक–03.03.2025 में मुख्य रुप से अवैध खनन को नकारा गया है जबकि दिनांक–30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी0पी0एस0 कोडिनेट्स संख्या–ए N-25.8906138 व '' E-79.5407742 व कोडिनेट्स संख्या–बी N-25.890566 व '' E-79.54021 व के मध्य 50मील0X25मी0चौ0X0.9मी0ग0 कुल–1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुल 1125 घन मीटर का अवैध खनन तथा नदी की जलधारा में अवैध खनन किये जाने की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक–30.01.2025 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या–1732/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–27.02.2025 में स्पष्ट रुप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक–03.03.2025 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक–03.03.2025 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0 के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 क्षेत्रफल–17.731 हे0 के पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण उन पर कुल रु0–15,12,500/–(रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) आरोपित की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक–0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके पट्टाधारक स्वयं जिम्मेवार होगें।

(धनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3– मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

Annexure No- R 15

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या-- 276 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 20/05/2025

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन, निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भॅवरकुंआ इन्दौर म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दिनांक-19.04.2025 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि "ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लघंन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुये दिनांक-18.04.2025 को थाना परिसर जरिया की सुपुर्दगी में दिया गया है।"

पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम- 42(ज) का उल्लघंन एवं नियमावली-2021 नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नियमावली-2021 के नियम-60 में निम्नवत प्राविधानित किया गया है :-

"60(4) नियम-42(ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जलधारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लघंन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पॉच लाख रुपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/ Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज नियमावाली-2021 के नियम-42(ज) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक रु0-5,00,000/-(रुपये पांच लाख मात्र) के अनुसार 06 लिफ्टर मशीनों की कुल रु0-30,00,000/-(रुपये तीस लाख मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज को कार्यालय के पत्र संख्या-101/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-19.04.2025 द्वारा कारण

बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक–19.04.2025 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक–01.05.2025 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "कारण बताओं नोटिस दिनांक–19.04.2025 खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर निर्गत की गयी है। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक–19.06.2025 में 06 Suction Pump Machine/Lifter के माध्यम से जल के अन्दर से खनन कार्य करना संसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि अपील संख्या–306 वर्ष, 2022 मै0 हरिहर मिनरल्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में भी Suction Pump Machine/Lifter के उपयोग का आरोप मै0 हरिहर मिनरल्स के ऊपर लगाया गया था, जबकि विषयगत Suction Pump Machine न होकर मोटर पम्प थे, जिनके द्वारा पानी लेकर उप खनित बालू में मिट्टी के कणों को हटाकर धुलाई कर उन्हे बाजार में बिक्री योग्य बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 में बालू/मौरम साफ–सुथरी न होकर मिट्टी के कण सम्मिलित होने के कारण बालू/मौरम विनिर्माण कार्यो में प्रयोग नही होती है, जिसकी साफ–सफाई के लिये गढ्ढो में पानी पानी लेकर धुलाई कर परिवहित की जाती है। Suction Pump Machine और मोटर पम्प में महत्वपूर्ण अन्तर है। Suction Pump Machine बालू/मौरम जल के अन्दर से खींच कर बाहर फैकती है, परन्तु मोटर मात्र जल ही बाहर निकालते है, जिससे मिट्टी मिश्रित बालू/मौरम की सफाई होती है। उपरिलिखित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता विषयगत अनियमितता के आरोप को अस्वीकार कर यह प्रार्थना करता है कि जब्त किये गये मोटर पम्पों को लब्ध उपखनिजों की धुलाई हेतु अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक–01.05.2025 में मुख्य रुप से विषयगत Suction Pump Machine न होकर मोटर पम्प थे, जिनके द्वारा पानी लेकर उप खनित बालू में मिट्टी के कणों को हटाकर धुलाई कर उन्हे बाजार में बिक्री योग्य बनाया जाता है। जबकि खान निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दिनांक–19.04.2025 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) का स्पष्ट उल्लघंन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुये दिनांक–18.04.2025 को थाना परिसर जरिया की सुपुर्दगी में दिया गया है। पट्टाधारक द्वारा अवैधानिक तरीके से 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का खनन/परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) का उल्लघंन एवं नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 के पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने के कारण नियमावली–2021 के नियम–42(ज) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक रु0–5,00,000/–(रुपये पांच लाख मात्र) के अनुसार 06 लिफ्टर मशीनों की कुल रु0–30,00,000/–(रुपये तीस लाख मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक–0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होगें।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर
o/c

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

3. मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो० तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी- 233 विष्णुपुरी एन०एक्स० भँवरकुआ इन्दौर म०प्र०।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर
o/c

बीमा नहीं/NOT INSURED
40110
276
क्रमांक/No. RU-256024153-IN
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० 26 पै० 769
Amount of Stamps affixed Rs. P.
तारीख-मोहर
Date-stamp
एक रजिस्ट्री* प्राप्त किया
Received a Registered
पाने वाले का नाम/Addressed to
पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

Annexure No- R16

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 197 / खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2025–26) दिनांक– 07/05/2025

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज,
प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन,
निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 रकबा–17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0–630/–प्रति घन मीटर की दर से दिनांक–11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–35/एम–प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक–08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक–02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गढ्ढों के आकंलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई–एम0एम0–11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई–एम0एम0–11 के पोर्टल की मात्रा 2946 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गढ्ढो के अनुसार लब्ध मात्रा 3246 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा **300** घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–03 व 21 का उल्लघंन एवं नियम–58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा **300 घन मीटर** बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली–2021 के नियम–21 के अन्तर्गत 300 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0–45000/–(रुपये पैतालिस हजार मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0–2,25,000/–(रुपये दो लाख पचीस हजार मात्र) कुल रु0–2,70,000/–(रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नही दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नही पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

13/05/2021